न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान –

आदराम

बनाम

हरीकिशन

उपस्थित :- श्री सुखदेव सिंह बुट्टर वकील वादी
श्री शेराराम ओड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
श्री अवतार सिंह मल्ली, नवीन कुमार मिढ्ढा, नितेस मिढ्ढा वकील प्रतिवादी संख्या 4
पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. व सपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 52/2019

निर्णय दिनांक – 27/01/2021

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92 (ए), 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर चक 5 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर के पतीर नम्बरी 187/401 मुरब्बा नं. 18 का कुल 6.073 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से 4.960 हैक्टर के सम्बन्ध में तथाकथित इकरारनामे (करार पत्रों) दिनांक 20/05/2019 के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादी का वाद विधि से बाधित है एवं धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियत से हिट होता है क्योकि वाद में अंकित अभिवचनों से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि वादी द्वारा तथाकथित करार पत्र दिनांकित 20/05/2019 के आधार पर वाद मजह स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। तथाकथित करार पत्र दिनांक 20/05/2019 एक अपंजीकृत दस्तावेज है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर दीवानी न्यायालय को प्राप्त है इसलिए तथाकथित इकरारनामा (करार पत्र) के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सक्षम दीवानी न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी वादाधीन भूमि का खातेदार टीनेन्ट नहीं है। तथाकथित इकरारनामा दिनांक 20/05/2019 के आधार पर वादी माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है और ना ही वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद कारण प्राप्त है और ना ही वादाधीन भूमि पर कोई कब्जा काश्त है और ना ही कब्जा सुपुर्द करने का कोई अंकन तथाकथित करार पत्र में दर्ज है। वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण माननीय न्यायालय को इसे सुनने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है तथा वाद सुनने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होने के कारण वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सहपठित

लगातार..........2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

धारा 151 जाब्ता दीवानी तथा सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी के इस प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त बिन्दू कानूनी है। जिनका सर्वप्रथम निस्तारण महज वाद के अभिवचनों से किया जाना है इस हेतु कानूनन किसी भी प्रकार से जवाब दावा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके निस्तारण के उपरान्त ही वाद के गुणावगुण के सम्बन्ध में आयन्दा विचारण किया जा सकता है आदि का प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब हेतु वादी को कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन वादी की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब स्टेज बन्द की गई।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा धारा 91, 92(ए), 183 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में पाया कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92(ए) के अन्तर्गत वाद नहीं ला जा सकता है। चूंकि प्रार्थी/वादी खातेदार नहीं है और ना ही खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहा गया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान पूर्णतया लागू होते है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. व सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. एवं सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

श्री विजयनगर